

गुप्तों का सामाजिक जीवन

- 24th lecture by
Manita Rani
History depart.
SNRSRKS COLLEGE
SAHARSA
25-04-2020

गुप्तों का सामाजिक जीवन :-

24th Lecture.

- गुप्तकालीन समाज परम्परागत चार वर्गों में विभक्त था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। उनके छः कर्तव्य माने जाते थे - अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान करना, होना एवं दान लेना।
- चार वर्गों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म था। गुप्तकालीन समाज में वर्णभेद स्पष्ट रूप से था।
- न्याय संहिताओं में कहा गया है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रियों की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए। इस काल की वर्ण व्यवस्था की विशेषता यह थी कि अब शूद्र सैनिक वृत्ति भी अपनाते लगे थे।
- याज्ञवल्क्य शूद्रों को व्यापारी, कारीगर तथा कृषक होने की अनुमति दी है। एवंसांग ने शूद्रों को खनिज वर्ग के रूप में उल्लेख किया है। इस काल में शूद्रों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ।
- गुप्त काल में प्राप्त ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों को नारद स्मृति में गिनाया गया है। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ अब उन्हें श्राद्ध, महा-भारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया। वे अब कृष्ण नामक एक न देवता को पूजा भी कर सकते हैं। सातवीं से शूद्रों की पहचान मूलतः कृषक के रूप में होने लगी।
- चाण्डाल को चारों वर्गों में नीचा स्थान प्राप्त था। फाह्यान ने लिखा है कि चाण्डाल गांव के बाहर बसते थे और मांस खाते थे।

गुप्तकाल के धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से ब्रह्मणों को असूश्रु और दासों से अलग बताया गया है।

→ गुप्तकाल में वर्ण परिवर्तन करने की अनुमति थी। बहुसंख्यक ब्राह्मण इस काल में वाणिज्य व्यापार करने लगे। स्मृति ग्रंथों में इस वृत्ति को आपद्धम कहा गया है। इस काल में वाणिज्य को भी ब्रह्मणों का कर्तव्य माना जाने लगा था।

→ वैश्य वर्ण के कार्य कृषि और व्यवसाय थे। गुप्तकाल में उन्हें वणिक श्रेणी और सार्वकार भी कहा गया था। गुप्तकालीन अभिलेखों में कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। अश्विनस स्मृति में कायस्थ का एक जातिके रूप में उल्लेख मिलता है।

→ यह भी कहा गया है कि भूमि और भू-राजस्व के हस्तान्तरण के कारण कायस्थ जाति का अन्त हुआ। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया है। उनका प्रधान कार्य केवल लेखकीय ही नहीं होता था बल्कि वे लेखाकरण, गणना, आय-व्यय और भूमिकरके अधिकारी भी होते थे।

→ गुप्तकालीन अभिलेखों में उन्हें प्रथम कायस्थ या उन्नैव कायस्थ कहा गया है। गुप्तकाल तक कायस्थ केवल एक वर्ग के रूप में ही जीवाह में चलकर एक जातिके अन्तर्गत आ गये। इस काल की स्मृतियों में उनका उल्लेख जातिके रूप में नहीं मिलता है।

—: स्त्रियों की दशा :-

→ गुप्तकालीन साहित्य एवं कला में नाच का आदर्शमय चित्रण है परंतु व्यावहारिक रूप में उनकी स्वयंवि पटले की अपेक्षा द्वयीय ही गई थी। समाज में दहेअप्रवा, पर्वा प्रवा, और बाल विवाह प्रवा नहीं थी।

- स्त्री शिक्षा का प्रचलन वा। अमरकोष में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याय, उपाध्यायीय और आचार्य शब्द आये हैं। इस काल में स्त्री प्रवा विशेषतः सैनिक जातियों में विद्यमान था।
- स्त्रीप्रवा का सर्वप्रथम उल्लेख अजितलेखीय प्रमाण एण अजितलेख में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के स्त्री होने का उल्लेख मिलता है। स्त्रियों के सम्पत्ति संबंधी अधिकारों के विषय में योद्धवल्क्य स्मृति में निरूपित मान्यतारं महत्वपूर्ण है। उन्होने पत्नी को भी पति के सम्पत्ति का अधिकारी बताया है।
- इस काल में विधवाओं की स्वयं कोचरीयवी। देवदालियों की प्रवा का भी उल्लेख मेघदूत तथापुराणों में मिलता है। नारद एवं पराशर स्मृति से विधवा विवाह का समर्थन मिलता है।

==*